राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–317/2012

लाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को इस अपील में चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो गया है। केवल मात्र एक ही अनुतोष अपीलार्थी सितम्बर, 2011 के बिल से काटी गयी राशि 2187/– रूपये का भुगतान अपीलार्थी को किया जाए।
2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के बिल से उक्त राशि इसलिए काटी गयी है कि अपीलार्थी को गलत रूप से वेतन का भुगतान हो गया था। जबकि इसमें अपीलार्थी की स्वयं की कोई गलती नहीं थी, इस कारण से इस राशि की वसूली नहीं की सकती। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्को में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (2015)4 SSC 334 के प्रकरण का अवलम्ब लिया, जिसके आधार पर अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी से वसूली किया जाना गलत है।
3. प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि छठे वेतनमान के एरियर दिनांक 02.05.2008 से 13.05.2008 के वेतन का अधिक भुगतान किया गया था। इसलिए 12 दिन के वेतन की राशि 2187/– रूपये बाद में सितम्बर, 2011 के वेतन से काटी गयी। उक्त राशि सहवन से अधिक भुगतान की गई, जिस कारण से उक्त राशि सितम्बर, 2011 के वेतन से काटी गयी, जिसमें कोई गलती नहीं है।
4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।

5. इस प्रकरण में अपीलार्थी को 12 दिन का वेतन दिनांक 02.05.2008 से 13.05.2008 के वेतन भुगतान में हुई गलती के कारण उसकी वसूली सितम्बर, 2008 के वेतन से की गयी। बाद में वसूली किये जाने में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। जहां तक रफीक मसीह के न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है अपीलार्थी से सेवा में रहते हुए ही वसूली कर ली गई, जिससे यह न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।
6. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)